

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०-08/ज०सं०(नि०)देव०-10/2006 अंश (पार्ट-1)/राँची, दिनांक
आदेश

श्री अरुण कुमार ठाकुर, तत्कालीन कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा शिविर-महगामा के विरुद्ध उक्त प्रमण्डल के पदस्थापन अवधि में बरती गई अनियमितता लापरवाही, विशिष्ट के अनुरूप कार्य नहीं करना एवं सरकार को भारी आर्थिक क्षति पहुँचाने के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2742 दिनांक- 21.10.2008 के द्वारा असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा मंतव्य दिया गया कि Embankments में Fox holes, लघु सिंचाई विभाग द्वारा उद्वह सिंचाई योजना निर्माण में तटबंध को काट कर Pipe Line बिछाया गया एवं उसका Properly face wall का निर्माण उक्त स्थल पर नहीं किया गया तथा अत्यधिक वर्षा के कारण त्रिवेणी वियर टूट गया, जिसके पानी का दबाव से तटबंध टूट गया। इसे Natural Calamity की संज्ञा दी जा सकती है एवं आरोप नहीं बनता है, अतएव विभाग इस पर अपने स्तर से निर्णय लेना चाहेगी।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर से की गई, जिसमें पाया गया कि भारी बारीस के कारण तटबंध टूटा ये सही माना जा सकता है, परन्तु उद्वह सिंचाई योजनान्तर्गत कराये गये कार्य में तटबंध काट कर पाईप लाईन बिछाया गया एवं उस पर Properly face wall का निर्माण नहीं कराया गया, जिसे किसी अभियंता द्वारा नहीं देखा गया क्योंकि अगर देखा जाता तो इसकी सूचना अपने उच्चस्तर पदाधिकारी को देते या Properly face wall निर्माण हेतु संबंधी पदाधिकारी से अनुरोध करते लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा भी उक्त तटबंध का मोनिटरिंग/निरीक्षण नहीं किया जाता था।

4. विभागीय समीक्षा में श्री ठाकुर के विरुद्ध प्रमाणित पाये गये उक्त आरोप के लिए निम्न प्रस्तावित दण्ड के सापेक्ष द्वितीय कारण पृच्छा किया गया।

- (i) निन्दन
- (ii) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

5. श्री ठाकुर, तत्कालीन कनीय अभियंता से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। श्री ठाकुर द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में कोई नया तथ्य नहीं दिया गया, जिसके आधार पर उनके द्वितीय कारण पृच्छा की स्वीकृति पर विचार किया जाय, बल्कि पूर्व में दिये गये तथ्यों को ही पुनः प्रस्तुत किया गया, जिसके समीक्षा कर ही उपरोक्त दण्ड प्रस्तावित किया गया है।

अतः श्री ठाकुर, तत्कालीन कनीय अभियंता के द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उक्त प्रमाणित आरोप के लिए निम्न लघु दण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है :-

- (i) निन्दन
- (ii) एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 4323 राँची / दिनांक 11/10/18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची / अवर सचिव, प्रशाखा-03, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर / कार्यपालक अभियंता, पुनासी बांध प्रमण्डल, पुनासी शिविर-देवघर / श्री अरुण कुमार ठाकुर, कनीय अभियंता, पुनासी बांध प्रमण्डल, पुनासी शिविर-देवघर / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Vinay
29/10/2018

(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव